(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) Governemnt are aware of the news-item in question. As per information made available by the State Government, on 27-1-94, during the night, some rockets were fired by Pak troops in the Dogwar sector of Poonch. Some live rockets were recovered in the area by the Army. An employee of the Irrigation Department spotted one rocket and took it to the nearby Middle School, Dogwar. The Headmaster of the school asked him to hand it over to Army, but, he left it in the premises of the school. One Sohan Singh (ex-serviceman) who was a teacher in the school tried to demonstrate and explain the device to the other staff. In the process, the wires of the battery got connected and the device exploded, resulting in serious injuries to 12 persons. 6 of them including the teacher, Mohindcr Singh were airlifted to Jammu. While 5 of them were discharged, Mohinder Sharma was referred to AIIMS, Delhi, for specialised treatment. The State Government have not provided any compensation/financial assistance as in the case of victims of terrorist violence, because this was a case of an accident resulting from the careless behaviour of all concerned.

साम्प्रदायिक सौहार्द निधि में से धनराशि का संवितरण

2945. श्री ईश दत्त यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पूजा स्थलों की मरम्मत हेतु राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को साम्प्रदायिक सौहार्द निधि में से 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) जिले-वार कितने पूजा स्थलों को यह धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) 31 जुलाई, 1994 तक इस आवंटित धनराशि से जिला-वार कितने पूजा स्थलों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) से (ग) साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पूजा स्थलों की मरम्मत के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान, तथा 31.7.1994 तक, साम्प्रदायिक सौहार्द निधि से कोई आवंटन नहीं किया गया है।

प्रापर्टी डीलरों द्वारा की गई धोखाधड़ी और जालसाजी

2946. श्री ईश दत्त यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत छह महीनों के दौरान प्रापर्टी डीलरों द्वारा की गई धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 1.2.1994 से 31.7.1994 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार के सात मामले (विवरण संलग्न) (नीचे देखिए) ध्यान में आए हैं और जिनमें 14 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इन मामलों में से दो मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं।

विवरण

सात मामलों के ब्यौरे

1. भा०द०स० की धारा 420/120-ख के अन्तर्गत 2.2.94 को थाना देशबन्धु गुप्ता रोड, दिल्ली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 25 ।

   सुरेन्द्र कोहली और अन्यों के विरुद्ध थाना देशबन्धु गुप्ता रोड में भा०द०स० की धारा 420/120-ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

2. थाना सब्जी मंडी, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420 के अन्तर्गत 8.2.94 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 35।

बाल मुकुन्द सिंगल के खिलाफ थाना सब्जी मंडी, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार किया गया है। मामले को न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

3. थाना नन्द नगरी, दिल्ली में धारा 420/120-ख के अन्तर्गत दिनांक 9.3.94 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 102।

सूरज भान और कृष्ण कान्त के खिलाफ थाना नन्द नगरी, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420/120-ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले को न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

4. थाना विनय नगर, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420 के अन्तर्गत 12.3.94 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 104।

शिवराज गुप्ता के खिलाफ थाना विनय नगर, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है।

5. थाना डिफेंस कालोनी, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420/467/468/471/120-ख के अन्तर्गत 15.6.94 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 271।

राज कुमार और अन्यों के खिलाफ थाना डिफेंस कालोनी में भा०द०स० की धारा 420/467/468/471/120-ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

6. थाना पश्चिम विहार, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420/448/506 के अन्तर्गत दिनांक 11.4.1994 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 173।

चिरंजी लाल के खिलाफ थाना पश्चिम विहार ने भा०द०स० की धारा 420/448/506 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया।

7. थाना बदरपुर, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420/468/471 के अन्तर्गत 6.3.94 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 84।

थाना बदरपुर, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420/468/471 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। इस मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दिल्ली में बोगस एजेंसियां

2947. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में बोगस एजेंसियां स्थापित करके विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर नागरिकों से करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1991, 1992, 1993, और 1994 (31.7.94 तक) के दौरान दिल्ली में दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	सूचित हुए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	न्यायालयों की दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ न्यायालय स्तर में मामले दायर किए गए हैं	दोष सिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या	दोष मुक्त हुए व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ मामले विचारण के लिए लम्बित हैं	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ मामले जांच-पड़ताल हेतु लंबित हैं	रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या
1991	16	18	18	—	2	16	—	—
1992	10	14	13	—	—	13	1 (3 व्यक्तियों को फरार अपराधी करार दिया गया है।)	
1993	55	53	47	1	—	46	5	—
1994 (31.7.94 तक)	7	11	5	—	—	5	6	—